भारतीय संघ आदि
बनाम
राकेश कुमार एवं अन्य, आदि।
(सिविल अपील संख्या 484-491/2006)
12 जनवरी 2010
[के.जी. बालाकृष्णन, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, पी. सदाशिवम और जे.एम. पंचाल, न्यायाधीशगण]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 14, 243-डी और 243-एम(4)(बी) - अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतें - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की धारा 4(जी) और झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 17(बी)(2), 21(बी), 36(बी)(2), 40(बी), 51(बी)(2) और 55(बी) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में कुल सीटों का 50% और सभी स्तरों पर अध्यक्षों के पदों का आरक्षण प्रदान किया गया है -संवैधानिक रूप से वैध - अनुसूचित क्षेत्रों में तीनों स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50% सीटों का आरक्षण स्पष्ट रूप से 'प्रतिपूरक भेदभाव' का एक उदाहरण है क्योंकि ये क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार पूरी तरह से एक अलग प्रशासनिक योजना के तहत थे - प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% सीटों का आरक्षण अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिए जाने की स्थिति में पंचायतों की कुल सीटों में से 80% को अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों के साथ मिला दिया जाए तो भी संवैधानिक रूप से वैध हैं। - अनुच्छेद 243-एम(4)(बी) के तहत अनिवार्य असाधारण उपचार के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की कुल सीटों के 50% से अधिक आरक्षण अनुमेय हैं। - यह सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध नहीं होगा। - इसके अलावा, चुनावी मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार कानूनी अधिकार है, जो विधायी माध्यमों से नियंत्रण के अधीन है। - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान - धारा 4(जी) - झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 - धारा। 17(8)(2), 21(बी), 36(बी)(2), 40(बी), 51(बी)(2) एवं 55(बी) - समितियां - भूरिया समिति रिपोर्ट - सामाजिक न्याय - चुनाव कानून।

पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(जी) और झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गईं। उच्च न्यायालय ने पेसा

की धारा 4(जी) के दूसरे प्रावधान और जेपीआरए की धारा 21(बी), 40(बी) और 55(बी) को खारिज कर दिया, जो अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में सभी स्तरों पर अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता था। इसने जेपीआरए की धारा 17(बी)(2), 36(बी)(2) और 51(बी)(2) को भी खारिज कर दिया, जो अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में 80% सीटों तक आरक्षण का प्रावधान करता था।

अपील स्वीकार करते हुए

न्यायालय ने कहा: 1.1. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(जी) का दूसरा प्रावधान तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 21(बी), 40(बी) और 55(बी) संवैधानिक रूप से वैध हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में, उन्हीं निकायों के अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जनजातियों का विशेष प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-एम(4)(बी) स्पष्ट रूप से संसद को संविधान के भाग IX को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने में 'अपवाद और संशोधन' प्रदान करने का अधिकार देता है। पी ई एस ए की धारा 4(जी) के प्रावधान 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के मानदंड के कुछ अपवादों पर विचार करते हैं और जेपीआरए के विवादित प्रावधानों में भी यही अपवादात्मक व्यवहार शामिल किया गया है। [पैरा 23 और 44] [531-ई; 510-बी-डी]

जनार्दन पासवान बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1988 पैट 75, का मामला प्रतिष्ठित।

1.2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था एक उपयुक्त मामला है, जो आरक्षण के संबंध में असाधारण उपचार की मांग करता है। आरक्षण के सिद्धांत जो सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होते हैं, उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर कब्जा करने के साथ-साथ बहुमत आरक्षण का आश्वासन देकर अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए विधायिका द्वारा बनाई गई आरक्षण नीति के संबंध में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है। यह नीति मोटे तौर पर पिछली प्रथा के अनुरूप है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता था और उनसे जनजाति सलाहकार परिषदों की सलाह का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों द्वारा नियंत्रित थे। इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करके, अनुसूचित जनजातियों को अपेक्षाकृत नुकसानदेह स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए। संविधान के भाग IX द्वारा परिकल्पित पंचायती राज व्यवस्था में, अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन में प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए। इसीलिए भूरिया समिति ने सिफारिश की थी कि सभी अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए। संसद ने पंचायत में अध्यक्ष की निर्णायक भूमिका के कारण ऐसा विशेष आरक्षण प्रदान किया है। [पैरा 15, 18 और 34] [510-डी-ई; 511-जी-एच; 512-ए-बी; 523-एफ]

विनायकराव गंगारामजी देशमुख बनाम पी.सी. अग्रवाल एवं अन्य, एआईआर 1999 बोर्न 142;- और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 (2) अनुपूरक एससीआर 454 = (1992) अनुपूरक (3) एससीसी 217, संदर्भित।

2.1 झारखंड पंचायत आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 17(बी)(2), 36(बी)(2) और 55(बी)(2) भी संवैधानिक रूप से वैध प्रावधान हैं। जेपीआरए के प्रावधानों के पीछे विधायी मंशा मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 243-एम(4)(बी) के तहत अनिवार्य असाधारण उपचार के कारण अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 50% से अधिक सीटों पर कुल आरक्षण अनुमेय है। (पैरा 42 और 44] [530-एच; 531-ए-बी-ई]

श्री बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1963 अनुपूरक एससीआर 439 = एआईआर 1963 एससी 649 और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) अनुपूरक 3 एससीसी 217; कृष्ण कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1996 पैट. 112, संदर्भित।

2.2 संविधान के अनुच्छेद 243-डी के तहत राज्य विधानमंडल को प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का स्पष्ट आदेश है और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के अनुपात में होगी, जैसा कि उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या विचाराधीन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में है। अनुच्छेद 243-डी(6) के मद्देनजर राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी स्तर पर किसी भी पंचायत में सीटों या पंचायतों में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। पेसा के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित की जानी चाहिए और अधिकतम सीमा इस सीमा तक तय की गई है कि यह आरक्षण कुल सीटों के 80% से अधिक नहीं होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आरक्षण नीति विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है जो अब तक संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत एक अलग प्रशासनिक योजना का विषय थे।
[पैरा 27] [518-ई-एच; 519-ए-बी]

2.3. हमारी कानूनी प्रणाली में यह एक सर्वमान्य आधार है कि 'मौलिक समानता' और 'वितरणात्मक न्याय' जैसे विचार 'कानून के समक्ष समान संरक्षण' की गारंटी की हमारी समझ के केंद्र में हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से असमानों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सकता है। सवाल यह है कि क्या 'उचित वर्गीकरण' सुबोध भिन्नता के आधार पर किया गया है और क्या समान मानदंड किसी वैध सरकारी उद्देश्य से सीधे संबंध रखते हैं। सकारात्मक कार्रवाई उपायों की वैधता की जांच करते समय, जांच 'कड़ी जांच' के मानक के बजाय आनुपातिकता के मानक द्वारा शासित होनी चाहिए। बेशक, इन सकारात्मक कार्रवाई उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और बदलती सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न उपायों को संशोधित या अनुकूलित किया जाना चाहिए। पंचायतों में सीटों का आरक्षण संविधान के भाग IX द्वारा सक्षम एक ऐसा सकारात्मक कार्रवाई उपाय है। (पैरा 28) (519-सीई)

2.4. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनावों के संदर्भ में 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि वह उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करे, जिनकी जनसंख्या के

स्तर में एक निश्चित सीमा तक समानता हो। संबंधित क्षेत्र में जनसांख्यिकीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। [पैरा 20) [513-डी-एफ]

2.5. तीनों स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50% सीटों का आरक्षण स्पष्ट रूप से 'प्रतिपूरक भेदभाव' का एक उदाहरण है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि विचाराधीन अनुसूचित क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार पूरी तरह से एक अलग प्रशासनिक योजना के तहत थे। अनुसूचित जनजातियों के मामले में 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' के साथ-साथ 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के मानदंडों से हटने का एक तर्कसंगत आधार निश्चित रूप से है। यह आवश्यक था क्योंकि यह पाया गया कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियाँ सापेक्ष बहुमत में हैं, वहाँ भी वे सरकारी तंत्र में कम प्रतिनिधित्व वाले हैं और इसलिए शोषण के प्रति संवेदनशील हैं। [पैरा 31 और 37] (521-जी-एच; 525-ई]

अशोक कुमार त्रिपाठी बनाम भारत संघ 2000 (2) एमपीएचटी 193, अनुमोदित।

2.6. अनुच्छेद 243-डी पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए एक अलग और स्वतंत्र संवैधानिक आधार है। इस आरक्षण की तुलना संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) द्वारा सक्षम सकारात्मक कार्रवाई उपायों से आसानी से नहीं की जा सकती है; विशेष रूप से अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 243-डी के बीच समानता अव्यवहारिक है। [पैरा 32) [522-बी-डी)

विनायकराव गंगारामजी देशमुख बनाम पी.सी. अग्रवाल और अन्य, एआईआर 1999 बोर्न 142, स्वीकृत।

3.1. विचाराधीन आरक्षण नीति केवल अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू है जो अब तक संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते थे और इस तरह के असाधारण व्यवहार के योग्य हैं। विचाराधीन अनुसूचित क्षेत्र झारखंड राज्य के केवल कुछ जिलों तक ही सीमित हैं। कुछ जिलों में जहां एसटी मुख्य रूप से काबिज नहीं हैं, केवल कुछ ब्लॉकों को ही अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ क्षेत्रों में गैर-आदिवासी लोगों के प्रवास के कारण, आदिवासी आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत कम हो सकता है लेकिन ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों में लगभग विशेष रूप से आदिवासी लोगों का कब्जा था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए असाधारण व्यवहार उन ब्लॉकों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन जिलों में केवल कुछ ब्लॉकों को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है, जेपीआरए के प्रावधान अधिसूचित क्षेत्र के भीतर पंचायत समितियों के स्तर पर लागू होंगे, लेकिन पूरे जिले के लिए जिला परिषद के स्तर पर नहीं। [पैरा 19 और 21 513-जी-एच; 514-ए) अशोक कुमार त्रिपाठी बनाम भारत संघ 2000 (2) एमपीएचटी 193; और आर.सी. पौड्याल बनाम भारत संघ_ 1993 (1) एससीआर 891 =(1994) सप. 1 एससीसी 324, संदर्भित।

3.2. अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान एक कार्यकारी कार्य है और न्यायालयों के पास इसके अनुभवजन्य आधार की जांच करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियाँ वास्तव में कुछ

अनुसूचित क्षेत्रों में बहुसंख्यक हैं, लेकिन कुछ अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह सच नहीं है। यह असमानता इस बात को ध्यान में रखते हुए समझ में आती है कि कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासी आबादी का काफी प्रवाह हुआ है। इस संबंध में, भूरिया समिति की सिफारिश पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में कम से कम आधे सीटों पर कब्जा करना चाहिए, भले ही संबंधित क्षेत्र में एसटी आबादी सापेक्ष अल्पसंख्यक हो। यह सिफारिश अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के बड़े उद्देश्य के अनुरूप है। [पैरा 38) [528-डी-जी)

4.1. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में 80% सीटों का आरक्षण सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों पर अनुचित सीमा है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों में मोटे तौर पर एक नागरिक का अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार और नागरिकों का किसी सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल है। जबकि चुनावी मताधिकार का प्रयोग एक उदार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है, यह भारतीय कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा नहीं है और इसके बजाय वे कानूनी अधिकार हैं जो विधायी साधनों के माध्यम से नियंत्रित होते हैं। यह कहना पर्याप्त होगा कि चुनाव लड़ने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है क्योंकि इस पर स्पष्ट विधायी नियंत्रण हैं। [पैरा 39) [529-8-एफ]

एन.पी. पोन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग अधिकारी नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र नमक्कल सेलम जिला। 1952 एससीआर 218 = 1952 एआईआर 64, संदर्भित।

4.2. पंचायतों में आरक्षण के संदर्भ में, मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों पर लगाई गई सीमाएं आरक्षण नीति का एक आकस्मिक परिणाम है। इस मामले में, स्थानीय स्वशासन में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करने में राज्य का अनिवार्य हित स्पष्ट रूप से मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों को सीमित न करने के प्रतिस्पर्धी हित से अधिक है। [पैरा 40) [529-जी-एच; 530-ए]

केस कानून संदर्भ:

एआईआर 1988 पैट 75 — पैरा 13 का हवाला दिया गया
1912 (2) सप्ल. एससीआर 454 — पैरा 17 को संदर्भित करता है
(प्रथम3)1 एससीसी 439 — पैरा 17 को संदर्भित करता है
1993 (1) एससीआर 891 — पैरा 20 को संदर्भित करता है
2000 (2) एमपीएचटी 193 — पैरा 22 पर निर्भर था
एआईआर 1996 पैट. 112 — पैरा 24 का हवाला दिया गया
एआईआर 1999 बम 142 — पैरा 32 का हवाला दिया गया
2000 (2) एमपीएचटी 193 — अनुमोदित पैरा 37

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2006 की सिविल अपील संख्या 484-491।

झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 02.09.2005 के निर्णय एवं आदेश से, डब्ल्यू.पी. (पीआईएल) संख्या 2728/2002, डब्ल्यू.पी. (पीआईएल) संख्या 3877/2002, डब्ल्यू.पी. (पीआईएल) संख्या 747/2001, डब्ल्यू.पी. (पीआईएल)

संख्या 1585/2002, डब्ल्यू.पी. (पीआईएल) संख्या 849/2002, सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 3591/1997 (आर), सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 2148/2001, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 2097/2002.

साथ

सी. ए. नंबर 209, 210- 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 / 2010

गोपाल सुब्रमण्यम, एएसजी, डॉ. राजीव धवन (एन.पी.), पी.एस. मिश्रा, (एन.पी.), एस.एस. उपाध्याय (एन.पी.), एम.एन. कृष्णमणि (एन.पी.), नागेन्द्र राय, (एन.पी.), तपेश क्र. सिंह, बालाजी (बी कृष्णा प्रसाद के लिए), अमलान कुमार घोष, प्रशांत भूषण, भूपेन्द्र यादव, विक्रमजीत बनर्जी, आर.सी. कोहली, साकेत सिंह, निरंजना सिंह, विक्रम, ब्रज किशोर मिश्र, उज्जवल के.झा, अरूप बनर्जी, क्षत्रशाल राज, ब्रज के.मिश्रा, टी.टी.के. दीपक एंड कंपनी, (एनपी), निखिल नैय्यर, टी.वी.एस. राघवेंद्र श्रेयस, सुमीत गगोदरा, अंबोज अग्रवाल, डॉ. एम.पी. राजू, मैरी स्कारिया, पी. जॉर्ज गिरी, वाई. कालीवी झिमोमी, अश्वनी भारद्वाज, संतोष मिश्रा, राजेश रंजन दुबे, ध्रुव कुमार झा, जयेश गौरव, शिव मंगल शर्मा, उपेन्द्र मिश्रा, पवन उपाध्याय, शर्मिला उपाध्याय, चिन्मय खलादकर, शैलेन्द्र नारायण सिंह, नीलम कलसी, विमल चन्द्र एस. दवे, संजय आर. हेगड़े, अनिल क्र. मिश्रा, ए. रोहन सिंह, अमित क्र. चावला, विक्रांत यादव, आर. वेंकटरमन, मनीष कुमार सरन, निर्मल कुमार अंबष्ठ, डेलिप जेरथ, रुचिरा गुप्ता, भावेश कुमार, (अशोक माथुर के लिए), कुमुद लता दास, डी.एन. गोबर्धन, (एनपी), अजीत कुमार सिन्हा, (एनपी), उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

के.जी. बालकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. ब्रिटिश शासन के दौरान काफी समय तक भारत में कुछ 'पिछड़े क्षेत्रों' पर विशेष कानून लागू किए गए थे, जहाँ मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते थे। ये पिछड़े क्षेत्र 1,20,000 वर्ग मील से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए थे। हालाँकि, इन क्षेत्रों और उनकी आबादी की विशेषताएँ व्यापक रूप से भिन्न थीं। 1874 के अधिनियम XIV द्वारा, संथाल परगना और चुटिया नागपुर डिवीजन (जिसे अब छोटानागपुर डिवीजन के रूप में जाना जाता है) बनाए गए और इन 'अनुसूचित जिलों' में आदिवासी समुदायों को अपने स्वयं के सम्मेलनों और परंपराओं के आधार पर अपने मामलों को विनियमित करने के लिए एक निश्चित सीमा तक स्वायत्तता दी गई। इनमें से कई समुदाय अपने नेताओं को चयन के लिए अन्य प्रथागत तरीकों के अलावा अनौपचारिक सहमति के माध्यम से चुनते थे। जब संविधान लागू हुआ, तो इन क्षेत्रों को 'अनुसूचित क्षेत्र' के रूप में नामित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 244 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में लागू होंगे। छठी अनुसूची के प्रावधान उन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का मार्गदर्शन करते हैं।

3. पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ (4) में कहा गया है कि "अनुसूचित क्षेत्र" वाले प्रत्येक राज्य में एक 'जनजाति सलाहकार परिषद' होगी जिसमें बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से यथासंभव तीन-चौथाई राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देना 'जनजाति सलाहकार परिषद' का कर्तव्य था। पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ (5) में कहा गया है कि राज्य का राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई विशेष अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन लागू होगा जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सकता है। राज्य का राज्यपाल किसी राज्य में किसी ऐसे क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए विनियम भी बना सकता है जो फिलहाल अनुसूचित क्षेत्र है। राज्य के राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी मौजूदा अधिनियम को निरस्त या संशोधित करने की शक्ति भी दी गई है, जो उस समय संबंधित क्षेत्र पर लागू है।

4. इसलिए, यह स्पष्ट है कि पांचवीं अनुसूची को शामिल करने के पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए एक अलग प्रशासनिक योजना बनाने की थी ताकि आदिवासी समुदायों की विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके। संविधान सभा में बहस के दौरान, कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जनजातियों के लिए इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की आलोचना की थी। ऐसी आलोचनाओं के जवाब में, श्री के.एम. मुंशी ने कहा था कि 'आदिवासी' या जनजातियाँ बहुत बड़ी संख्या में हैं जो विभिन्न "जातीय, धार्मिक और सामाजिक समूहों" से संबंधित हैं और उन्होंने प्रारूप समिति के प्रस्तावों का उद्देश्य निम्नलिखित शब्दों में समझाया:

> "हम चाहते हैं कि पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों को उच्चतर और अधिक आक्रामक संस्कृति वाली जातियों के विनाशकारी प्रभाव से बचाया जाना चाहिए और उन्हें अपना स्वायत्त जीवन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; साथ ही हम चाहते हैं कि वे देश के जीवन में अधिक से अधिक भाग लें। उन्हें अलग-थलग समुदाय या हमेशा के लिए बने रहने वाले छोटे गणराज्य नहीं होने चाहिए..... हमारा उद्देश्य उन्हें छोटे-छोटे असंबद्ध समुदायों के रूप में बनाए रखना है जो देश के बाकी हिस्सों से अलग समूहों के रूप में विकसित हो सकते हैं..... और इन जनजातियों को देश के राष्ट्रीय जीवन में समाहित किया जाना चाहिए।"

5. भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने अनुसूचित क्षेत्र (भाग ए राज्य) आदेश, 1950 के नाम से एक आदेश जारी किया। तत्कालीन संयुक्त बिहार राज्य के संबंध में, यह आदेश रांची जिले, सिंहभूम जिले (दलभूम उप-मंडल को छोड़कर) और संथाल परगना जिले पर लागू किया गया था। निम्नलिखित तालिका उन सरकारी उपायों का कालक्रम दिखाती है, जिन्होंने वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान की है:

1874	अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का अधिनियम x	संथाल परगना और चुटिया नागपुर डिवीजन (जिसे अब 'छोटानागपुर

	iv) कॉलोनिया काल के दौरान पारित किया गया	डिवीजन' के नाम से जाना जाता है) को पूर्ववर्ती बंगाल प्रांत में 'अनुसूचित जिले' घोषित किया गया। ये क्षेत्र अब झारखंड राज्य के क्षेत्र में आते हैं।
1950	स्वतंत्रता के बाद, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (भाग ए राज्य) आदेश, उप-विभाजन), 1950 के रूप में एक आदेश पारित किया था।	इस आदेश के अनुसरण में, रांची जिला, सिंहभूम जिला (दालभूम संथाल परगना जिला (गोड्डा और देवघर अनुमंडल को छोड़कर) और पलामू जिले के लातेहार अनुमंडल को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया।
1977	1950 के आदेश को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 लागू किया गया	उक्त आदेश के तहत रांची जिला, सिंहभूम जिला, लातेहार अनुमंडल और पलामू जिला के गढ़वा अनुमंडल के भंडरिया प्रखंड, दुमका, पाकुड़, राजमहल और जामताड़ा अनुमंडल तथा संथाल परगना जिले के गोड्डा अनुमंडल के सुंदरपहाड़ी और बोआरीजोर प्रखंड को तत्कालीन संयुक्त अनुसूचित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था।
2003	झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के गठन के बाद, अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 को 1977 के आदेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पारित किया गया था।	बिहार राज्य, सभी जो अब इसके अंतर्गत आते हैं झारखंड का क्षेत्र 2003 के आदेश के तहत, निम्नलिखित क्षेत्रों में झारखण्ड राज्य है के रूप में घोषित किया गया है अनुसूचित क्षेत्र: 1. बुढ़मू, मंदार, चान हो, बेरो, लापुंग, नामकोम, कांके, ओरमांझी, अंगारा, सिल्ली, सोनाहातू, तमाड़, बुंडू, अर्की, खूंटी, मुरहू, कर्रा, तोरपा और रनिया ब्लॉक में रांची जिला. 2. किस्को, कुरु, लोहरदगा, भद्रा और सेन्हा ने रोक लगा दी लोहरदगा जिला 3. बिशनपुर, घाघरा, चैनपुर, डुमरी, राईक. इह, गुमला, सिसई, कागदरा, बसिया और गुमला में पालकोट ब्लॉक

		ज़िला 4. सिमडेगा, कोलेबिरा, बानो, जलडेगा, थेथेटांगर, कुर्डेंग और बोलबा ब्लॉक सिमडेगा के अंदर ज़िला। 5. बरवाडीह, मनिका, बालूमाथ, चंदवा, लातेहार, गारू और महुआडारन ब्लॉक लातेहार जिले के अंतर्गत 6. भंडरिया ब्लॉक भीतर गढ़वा जिला 7. बंदगांव, चक्रधरपुर, सोनुवा, गोयलकेरा, महोहरपुर, नोवामुंडी, जगन्नाथपुर, मांघगांव, कुमारडुंगी, मंझारी, टाटनगर, झींकपानी, टोंटो, खुटपानी और चाईबासा भीतर ब्लॉक पश्चिमी सिंहभूम ज़िला 8. गोविंदपुर (राजनगर), आदित्यपुर (घमरिया), सरायकेला, खरसाण, कुचाई, चांद द्वितीय, ल्हागढ़ और नीमडीह सरायकेला के अंतर्गत ब्लॉक खरसावां जिला 9.गोलमुरी-जुगस्लिया, पटमदा, पेटका, डुमरिया, मुसाबनी, घाटशिला, धालभूमगढ़, चाकुलिया और बहरागोड़ा भीतर ब्लॉक पूर्वी सिंहभूम जिला 10. सरियाहाट, जरमुंडी, जामा,रामगढ़, गोपीकांदर, काठीकुंड,दुमका, सिकरीपारा, रानेश्वर और मसलिया ब्लॉक दुमका के अंदर ज़िला। 11. कुंडहित, नाला, जामताड़ा और नारायणपुर ब्लॉक जामताड़ा के अंदर ज़िला 12. साहेबगंज, बोरियो, तालझारी, राजमहल, बरहरवा, पथना और बरहेट ब्लॉक साहेबगंज के अंदर ज़िला। 13. लिट्टीपारा, अमरापारा, हिरणपुर, पाकुड़, महेशपुर और पाकुड़िया ब्लॉक पाकुड़ जिले के अंतर्गत

		14. बोरिजोर और सुंदरपहाड़ी ब्लॉक गोड्डा जिला अंतर्गत.
2007	झारखंड उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय के बाद झारखंड सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र (झारखंड राज्य) आदेश, 2007 पारित किया और यह वर्तमान में लागू है।	

इसलिए, इन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषदों का गठन किया गया था क्योंकि पंचायती राज प्रणाली का विस्तार उन तक नहीं किया गया था।

6. संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के माध्यम से, भारत के संविधान में भाग IX डाला गया था। संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243बी में यह अनिवार्य किया गया है कि इस भाग के प्रावधानों के अनुसार गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतें होंगी। अनुच्छेद 243-सी में प्रावधान है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243-डी के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण को सक्षम करने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 243-एम में कहा गया है कि इस भाग की कोई भी बात अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित अमास और खंड (2) में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी।

7. तीसरे संशोधन अधिनियम के दो साल बाद, केंद्र सरकार ने श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में संसद सदस्यों (एमपी) और विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी, ताकि विस्तृत अध्ययन किया जा सके और इस बारे में सिफारिशें की जा सकें कि क्या पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 243-एम (4) (बी) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए। समिति ने 17.1.1995 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अनुसूचित क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। भूरिया समिति की रिपोर्ट (पैरा 10) में निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ देना शिक्षाप्रद होगा: -

> 'बहुत पुराने समय में आदिवासी जीवन और अर्थव्यवस्था प्रकृति और उसकी संपदा के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध रखते थे। यह सतत विकास का एक उदाहरण था। लेकिन बाहरी आबादी के आगमन के साथ, इसे गंभीर झटके लगे। औपनिवेशिक व्यवस्था देश के आदिवासी और अन्य क्षेत्रों के प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों के अधिग्रहण के आधार पर स्थापित की गई थी। हालांकि, सैद्धांतिक रूप से, आदिवासी क्षेत्रों से औपनिवेशिक स्वामियों के चले जाने के बाद दृष्टिकोण में अंतर आया है, लेकिन व्यवहार में, अनुच्छेद 39 और राज्य के नीति के अन्य निर्देशक सिद्धांतों में बताए गए सिद्धांतों का अधिक कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। उनकी सरलता और अज्ञानता के कारण, दशकों से आदिवासियों को उनके प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों जैसे भूमि, जंगल, पानी, हवा आदि से बेदखल किया गया है। बेदखली केवल निजी पार्टियों के माध्यम से ही सीमित नहीं रही है।

सामान्य आर्थिक विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, राज्य उन्हें आजीविका के बुनियादी साधनों से भी वंचित करता रहा है। ये प्रक्रियाएँ लंबे समय से चल रही हैं और मानवीय दुख तथा सामाजिक-आर्थिक क्षति का कारण बन रही हैं। अभी तक कोई विश्वसनीय तस्वीर उपलब्ध नहीं है, उदाहरण के लिए, हम निजी और राज्य दोनों खातों में आदिवासियों से अलग की गई कुल भूमि की मात्रा और इसमें शामिल परिवारों, कुलों या जनजातियों की संख्या के बारे में नहीं जानते हैं। इसने कुछ लोगों को विकास को विनाश के एजेंट के रूप में देखने के लिए मजबूर किया है। लेकिन चूंकि नियोजित विकास हमारे लिए आस्था का विषय रहा है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आदिवासी हित में तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आदिवासी हित में हो। चूंकि, कुल मिलाकर, राजनीतिक-नौकरशाही तंत्र अपने प्रयास में विफल रहा है, इसलिए लोगों पर अधिकार विकसित किए जाने चाहिए ताकि वे अपने अनुकूल कार्यक्रम तैयार कर सकें और उन्हें अपने लाभ के लिए लागू कर सकें।

पैरा 30 में आगे कहा गया:

"समूह का यह भी मानना था कि इस तथ्य के बावजूद कि विचाराधीन क्षेत्रों यानी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी आबादी की बहुलता होने की उम्मीद है, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि वहां की पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की बहुलता होगी। इसका कारण यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों की बहुलता, समीपता आदि के कारण इस तरह अधिसूचित किया गया था। समय के साथ, गैर-एसटी आबादी के आने के कारण, कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में एसटी आबादी की स्थिति अल्पसंख्यक हो गई होगी। इसे अनुसूचित क्षेत्रों के समग्र चरित्र में बदलाव के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होने चाहिए। एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।" (जोर दिया गया)

8. जाहिर है, समिति ने तीन विशिष्ट सिफारिशें कीं, अर्थात्, (क) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, (ख) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होने चाहिए, और (ग) एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। समिति ने महसूस किया कि भाग IX में कुछ प्रावधान जो पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित थे, वे स्वस्थ थे और उन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाजों की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 243-एम (4) (बी) के तहत संसद द्वारा पारित किए जाने वाले कानून में शामिल किया जाना चाहिए। कई आदिवासी समाजों के हितों की रक्षा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया, जिनके अपने प्रथागत कानून, पारंपरिक प्रथाएं और सामुदायिक लोकाचार हैं। समिति का यह भी मानना था कि चूंकि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी आबादी का बहुमत होने की उम्मीद है, इसलिए विभिन्न स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों (इसके बाद 'एसटी') से संबंधित सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। इसके अलावा, यह सुझाव दिया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों

को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। समिति ने जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के संबंध में भी सिफारिशें कीं। वे भूमि, जल, जंगल और लघु वनोपज से संबंधित मामलों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित थे; चराई, ईंधन, चारा, लघु वनोपज, निर्माण सामग्री जैसे प्रथागत अधिकारों का प्रवर्तन; सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लामबंदी और सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम का आयोजन; लोगों के सभी वर्गों के बीच एकजुटता और सद्भाव को बढ़ावा देना; ग्राम पंचायत के खातों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट पर विचार; महिला और बाल विकास; गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाभार्थियों की पहचान और अन्य कल्याणकारी उपाय जैसे पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, संरक्षण और जल निकासी; सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय; गांव की सड़कें और गलियाँ; छोटे टैंक; सार्वजनिक संपत्ति और सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, कार्यों और प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत सुझाव दिए।

9. इन सिफारिशों के आधार पर, संसद द्वारा 1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 [इसके बाद 'पेसा'] पारित किया गया। पेसा अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

"अनुसूचित क्षेत्रों के प्रमुख नेताओं की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि संविधान के भाग IX के प्रावधानों को इन क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए ताकि वहां पंचायत राज संस्थाएं स्थापित की जा सकें। तदनुसार, संविधान के भाग IX के प्रावधानों को कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, राज्य द्वारा बनाए जाने वाले कानून प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होंगे; .... सभी स्तरों पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे; अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या का एक तिहाई से कम नहीं होगा।"

10. वर्तमान मामले में विचारणीय पेसा अधिनियम की धारा 4 है जो इस प्रकार है:-

> 4. संविधान के भाग IX के अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधानमंडल उस भाग के अंतर्गत कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो निम्नलिखित विशेषताओं में से किसी से असंगत हो, अर्थात:-
>
> (क) पंचायतों पर बनाया जाने वाला राज्य कानून, प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप होगा;
>
> (ख) एक गांव में आम तौर पर एक बस्ती या बस्तियों का समूह या एक बस्ती या बस्तियों का समूह शामिल होगा, जिसमें एक समुदाय शामिल होगा और परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार अपने मामलों का प्रबंधन करेगा;
>
> (ग) प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिनके नाम गांव स्तर पर पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हैं;

संथाल परगना और चुटिया नागपुर डिवीजन (जिसे अब 'छोटानागपुर डिवीजन' के रूप में जाना जाता है) को तत्कालीन बंगाल प्रांत में 'अनुसूचित जिले' के रूप में घोषित किया गया। ये क्षेत्र अब झारखंड राज्य के क्षेत्र में आते हैं।

(घ) प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीके की रक्षा और संरक्षण करने में सक्षम होगी; (ई) प्रत्येक ग्राम सभा –

(i) सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करना, इससे पहले कि ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए लिया जाए;

(ii) गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए जिम्मेदार होना;

(च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को ग्राम सभा से खंड (ई) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाणन प्राप्त करना आवश्यक होगा;

(छ) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद IX के तहत आरक्षण दिया जाना है;

बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा:

आगे यह भी प्रावधान है कि सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी;

(ज) राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है:

बशर्ते कि ऐसा मनोनयन उस पंचायत में निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा;

(आई) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने से पहले तथा अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने या पुनर्वासित करने से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायतों से परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और कार्यान्वयन का समन्वय राज्य स्तर पर किया जाएगा; (जे) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का कार्य उपयुक्त स्तर की पंचायतों को सौंपा जाएगा;

(के) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने से पहले ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य बनाई जाएंगी:

(एल) नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करने के लिए ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य बनाई जाएगी;

(एम) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधानमंडल यह सुनिश्चित करेगा कि समुचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा को विशिष्ट रूप से निम्नलिखित शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए जाएं-

(i) किसी मादक पदार्थ के विक्रय और उपभोग पर प्रतिषेध लागू करने अथवा उसे विनियमित या प्रतिबंधित करने की शक्ति;

(ii) लघु वनोपज का स्वामित्व;

(iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति और अनुसूचित जनजाति की किसी भी अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति;

(iv) गांव के बाजारों को किसी भी नाम से प्रबंधित करने की शक्ति;

(v) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति;

(vi) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति;

(vii) स्थानीय योजनाओं और जनजातीय उप-योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति;

(एन) राज्य विधान जो पंचायतों को आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकते हैं ताकि वे संस्थाओं या स्वशासन के रूप में कार्य कर सकें, उनमें यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय शामिल होंगे कि उच्च स्तर पर पंचायतें निचले स्तर पर किसी पंचायत या ग्राम सभा की शक्तियों और अधिकारों को ग्रहण न करें;

(ओ) राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करते समय संविधान की छठी अनुसूची के पैटर्न का पालन करने का प्रयास करेगा।

[जोर दिया गया]

11. पेसा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए, झारखंड राज्य विधानमंडल ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 [इसके बाद 'जेपीआरए'] पारित किया था, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे: -

धारा 17(ख) ग्राम पंचायत में सीटों का आरक्षण-

(ख) ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए (अनुसूचित क्षेत्र में)-

(1) अनुसूचित क्षेत्रों में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, उस ग्राम पंचायत में उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाएगा:

बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कुल संख्या के आधे से कम नहीं होंगी।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत में, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ऐसी संख्या में सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों, यदि कोई हो, के साथ मिलकर, उस ग्राम पंचायत की कुल सीटों के अस्सी प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

धारा 21(ख) - ग्राम पंचायत में मुखिया और उप-मुखिया के पदों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में)-

अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के मुखिया और उप-मुखिया के पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे;

यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ऐसी ग्राम पंचायतें, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या नहीं है, अनुसूचित जनजातियों के मुखिया एवं उप-मुखिया के आरक्षित पदों के आबंटन से सम्यक् रूप से अपवर्जित रहेंगी।

धारा 36(8)- पंचायत समिति की सीटों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में)-

(1) अनुसूचित क्षेत्रों में, प्रत्येक पंचायत समिति में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों का आरक्षण, उस पंचायत समिति में उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा:

बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कुल संख्या के आधे से कम नहीं होंगी।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में, पंचायत समिति में, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ऐसी संख्या में सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों, यदि कोई हो, के साथ मिलकर, उस पंचायत समिति की कुल सीटों के अस्सी प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

धारा 40(बी) - पंचायत समिति में प्रमुख और उप-प्रमुख के पदों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) -

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत समितियों में प्रमुख और उप-प्रमुख के पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे।

धारा 51 (ख) जिला परिषद की सीटों का आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) -

(1) अनुसूचित क्षेत्रों में, प्रत्येक जिला परिषद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों का आरक्षण, उस जिला परिषद में उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा:

बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कुल संख्या के आधे से कम नहीं होंगी।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में, जिला परिषद में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में उनकी जनसंख्या के अनुपात में इतनी संख्या में सीटें आरक्षित की जाएंगी, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों, यदि कोई हो, के साथ मिलकर उस जिला परिषद की कुल सीटों के अस्सी प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

धारा 55(बी) - जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्याक्ष के पदों के लिए आरक्षण (अनुसूचित क्षेत्र में) -

अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्ष और जिला परिषद के पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे।

12. झारखंड उच्च न्यायालय में पेसा अधिनियम, 1996 और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 के कुछ अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कई रिट याचिकाएँ दायर की गई थीं। पेसा के संबंध में, मुख्य चुनौती धारा 4(जी) के दूसरे प्रावधान के विरुद्ध थी, जिसके अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में तीनों स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित की जानी हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चूंकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है और पंचायतों में सीटों और अध्यक्ष पदों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है, इसलिए एसटी के पक्ष में अध्यक्ष पदों का शत-प्रतिशत आरक्षण एसटी वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों के अधिकारों में कटौती करेगा।

13. यह भी तर्क दिया गया कि अध्यक्ष पदों का शत-प्रतिशत आरक्षण अत्यधिक है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया था कि अध्यक्ष के पद को एकांत पद माना जाना चाहिए और इसलिए ऐसे पद का आरक्षण अनुमेय नहीं है। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने जनार्दन पासवान बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1988 पैट 75 के मामले में पटना उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा किया था। इस मामले को उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अलग रखा कि यह सत्तर-तीसरे संशोधन के लागू होने से पहले तय किया गया था और संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243-डी ने उक्त आरक्षण नीति पर विचार किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि पीईएसएए अधिनियम, 1996 की धारा 4 (जी) का दूसरा प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें आरक्षित करना असंवैधानिक था। उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

".. जहां तक पेसा अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (जी) के दूसरे परंतुक का संबंध है, इस प्रावधान के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। पेसा अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (जी) के पूर्वोक्त परंतुक के मद्देनजर, राज्य सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 को अधिनियमित करते समय, अधिनियम, 2001 की धारा 21

(बी), धारा 40(8) और धारा 55 (बी) के तहत सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। यह पहले ही माना जा चुका है कि अध्यक्षों के कार्यालयों और सीटों का शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह अत्यधिक, अनुचित और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है, अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सीटों का शत-प्रतिशत आरक्षण किया गया है, उन्हें असंवैधानिक होने के कारण बरकरार नहीं रखा जा सकता है। तदनुसार, पेसा अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (जी) के दूसरे प्रावधान, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 21 (बी), धारा 40 (बी) और धारा 55 (बी) के अनुसार अब तक अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सीटों का शत-प्रतिशत आरक्षण असंवैधानिक और अधिकारहीन घोषित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निष्कर्ष को भारत संघ (अपीलकर्ता) द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

14. इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, हमने अपीलकर्ता की ओर से श्री गोपाल सुब्रमण्यम, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल [अब भारत के सॉलिसिटर जनरल] और श्री एम.पी. राजू को सुना। श्री पी.एस. मिश्रा, श्री एम.एन. कृष्णमणि, सीनियर एडवोकेट, श्री आर. वेंकटरमन, श्री नागेंद्र राय और श्री दिलीप जेरथ, विद्वान वकीलों ने प्रतिवादियों की ओर से मौखिक प्रस्तुतियाँ कीं।

15. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पहले के फैसले पर भरोसा करने के अलावा, उच्च न्यायालय ने पीईएसए अधिनियम, 1996 की धारा 4(जी) के दूसरे प्रावधान के साथ-साथ जेपीआरए अधिनियम, 2001 की धाराओं 21 (बी), 40 (बी) और 55 (बी) को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि अध्यक्षों के पदों का शत-प्रतिशत आरक्षण अत्यधिक, अनुचित और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि भूरिया समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुसूचित जनजातियों से होने चाहिए। इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और इसे प्रभावी करने के लिए पी ई एस ए अधिनियम, 1996 लागू किया गया। संसद ने पंचायत में अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ऐसा विशेष आरक्षण प्रदान किया है। यह महसूस किया जाना चाहिए कि यदि अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यक्ष पदों पर गैर-आदिवासी व्यक्ति काबिज हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति अनुसूचित जनजातियों के विशेष हितों का ध्यान रखेंगे।

16. पांचवीं अनुसूची को लागू करते समय संविधान सभा का विचार था कि सामान्य कानूनों के अधीन होने से जनजातीय समुदायों को विशेष रूप से दो खतरों का सामना करना पड़ेगा। दोनों ही खतरे इस तथ्य से उत्पन्न हुए कि वे आदिम लोग थे, सरल, अपरिष्कृत और अक्सर लापरवाह। सबसे पहले, उनकी कृषि भूमि को आबादी के अधिक सभ्य वर्ग द्वारा हड़प लिए जाने का जोखिम था। इससे उनकी आजीविका और भरण-पोषण को खतरा होगा क्योंकि आदिवासियों का व्यवसाय अधिकांशतः कृषि था।

दूसरे, उनके 'साहूकारों की चाल' का शिकार होने की संभावना अधिक थी। तब सरकार की नीति का प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय समुदायों को इन दो खतरों से बचाना और उनके रीति-रिवाजों को संरक्षित करना था। इस उद्देश्य को विशेष प्रावधानों को शामिल करके पूरा किया गया, जिन्हें इन पिछड़े क्षेत्रों पर लागू किया जाना था। प्रतिवादियों के वकीलों द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में सभी अध्यक्ष पदों को अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित करना न्यायोचित नहीं है। इस मोड़ पर, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जेपीआरए की धारा 21 (8), 40 (8) और 55 (8) में संशोधन किया गया है ताकि आरक्षण को मुखिया (ग्राम पंचायत स्तर पर), प्रमुख (पंचायत समिति स्तर पर) और अध्यक्ष (जिला परिषद स्तर पर) के कार्यालय तक सीमित किया जा सके।

17. प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया था कि अनुच्छेद 243-डी के पीछे संवैधानिक मंशा 100 प्रतिशत आरक्षण की नहीं बल्कि केवल आनुपातिक आरक्षण की है और यह आरक्षित सीटों के रोटेशन की बात करता है। हालांकि, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि अनुच्छेद 243-एम (4) (बी) अनुसूचित क्षेत्रों में भाग IX के आवेदन में 'अपवाद और संशोधन' की अनुमति देता है। प्रतिवादियों ने यह भी तर्क दिया है कि कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकतम आरक्षण केवल 50 प्रतिशत तक है और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, (1992) बालाजी बनाम मैसूर राज्य, (1963) 1 एससीसी 439। हालाँकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये दोनों निर्णय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) द्वारा सक्षम आरक्षण उपायों के संबंध में दिए गए थे।

18. सबसे पहले, हमारा विचार है कि सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण के सिद्धांत अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए विधायिका द्वारा बनाई गई आरक्षण नीति के संबंध में आसानी से लागू नहीं हो सकते हैं, जिसमें उन्हें बहुमत आरक्षण के साथ-साथ अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में अध्यक्ष पदों पर कब्जा सुनिश्चित करके उनके हितों की रक्षा की जाती है। यह नीति मोटे तौर पर पिछली प्रथा के अनुरूप है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता था और उनसे जनजाति सलाहकार परिषदों की सलाह का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों द्वारा नियंत्रित थे। इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार करके, अनुसूचित जनजातियों को अपेक्षाकृत असुविधाजनक स्थिति में नहीं डाला जाना चाहिए। भाग IX द्वारा परिकल्पित पंचायती राज व्यवस्था में, अनुसूचित जनजातियों को प्रशासन में प्रभावी रूप से शामिल किया जाना चाहिए। इसीलिए भूरिया समिति ने सिफारिश की कि सभी अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित होने चाहिए।

19. प्रतिवादियों के वकील ने यह भी तर्क दिया कि अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में विशेष आरक्षण दूसरों के लिए राजनीतिक भागीदारी के दायरे को अनुचित रूप से सीमित करता है और चूंकि अध्यक्ष के सभी पद आरक्षित हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243-डी (4) के तीसरे प्रावधान के अनुसार सीटों के रोटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। यह भी बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित कुछ जिलों में अनुसूचित जनजातियाँ बहुमत में नहीं हैं। सबसे पहले, यह याद रखना चाहिए कि आरोपित

आरक्षण नीति केवल अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है जो अब तक संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते थे। हमें यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि आरक्षण का यह पैटर्न केवल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इस तरह के असाधारण उपचार के योग्य हैं। वर्तमान मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन अनुसूचित क्षेत्र केवल झारखंड राज्य के कुछ जिलों तक ही सीमित हैं। कुछ जिलों में जहाँ एसटी मुख्य रूप से नहीं रहते हैं, केवल कुछ ब्लॉकों को ही अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ क्षेत्रों में गैर-आदिवासी लोगों के प्रवास के कारण, वहां जनजातीय आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत कम हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इन क्षेत्रों पर लगभग विशेष रूप से जनजातीय लोगों का ही कब्जा रहा है।

20. कार्यवाही के दौरान, हमारा ध्यान संविधान पीठ के उस निर्णय की ओर भी गया, जिसे आर.सी. पौड्या/ बनाम भारत संघ (1994) सप. 1 एससीसी 324 के रूप में रिपोर्ट किया गया था, जिसमें बहुमत ने सिक्किम विधान सभा में भूटिया और लेप्चा समुदायों के पक्ष में कुछ सीटों के आरक्षण को बरकरार रखा था। उस मामले में बहुमत ने माना था कि भले ही जातीय और धार्मिक पहचान के आधार पर विधायी सीटें सामान्य रूप से आरक्षित नहीं की जा सकती हैं, लेकिन इस मामले में विशेष ऐतिहासिक कारकों के कारण अपवाद बनाया जा सकता है, जिसके कारण सिक्किम का भारत संघ में एकीकरण हुआ। उस मामले में दिया गया निर्णय वर्तमान मुकदमे में किसी भी पक्ष के मामले में सीधे सहायता नहीं करता है। हालाँकि, उस मामले में दिए गए मतों ने उदार लोकतंत्रों में पालन किए जाने वाले 'एक व्यक्ति, एक वोट' सिद्धांत के महत्व को छुआ था। जबकि यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि व्यक्तियों द्वारा डाले गए वोटों को दिए गए महत्व के बीच समानता होनी चाहिए, इसे पूर्ण मानक पर लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र उनमें रहने वाले मतदाताओं की संख्या के संबंध में अलग-अलग आकार के होते हैं। इसका मतलब यह है कि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में व्यक्तियों द्वारा डाले गए वोटों के महत्व में कुछ असमानताएँ होनी तय हैं। यह समस्या सभी चुनावी प्रारूपों में मौजूद है जहाँ प्रतिनिधि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत चुनावों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी है कि वह उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करे जिनकी जनसंख्या के स्तर में एक निश्चित सीमा तक समानता हो। संबंधित क्षेत्र में जनसांख्यिकीय बदलावों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से बनाना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।

21. यह भी चिंता व्यक्त की गई कि कुछ मामलों में अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष जिलों के कुछ ब्लॉक शामिल हैं, लेकिन उसी जिले के शेष ब्लॉक इसमें शामिल नहीं हैं। यह कोई गंभीर बाधा नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अपवादात्मक व्यवहार उन ब्लॉकों तक ही सीमित रहेगा जिन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन जिलों में केवल कुछ ब्लॉकों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जेपीआरए

के विवादित प्रावधान अधिसूचित क्षेत्र के भीतर पंचायत समितियों के स्तर पर लागू होंगे, लेकिन पूरे जिले के लिए जिला परिषद के स्तर पर नहीं।

22. मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में निहित एक तुलनीय आरक्षण नीति को अशोक कुमार त्रिपाठी बनाम भारत संघ, 2000 (2) एमपीएचटी 193 में चुनौती दी गई और उच्च न्यायालय ने प्रावधान को बरकरार रखा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि:

> "45. जहां तक अनुसूचित क्षेत्रों में सदस्यों के लिए 50% से अधिक तथा अध्यक्षों के लिए 100% आरक्षण का सवाल है, यह संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर भी खरा उतरता है। यह समाज के विभिन्न वर्गों को अधिक उत्पीड़ित-पिछड़े तथा अगड़ों में उचित वर्गीकरण पर अनुमेय सुरक्षात्मक भेदभाव है। अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों की विशिष्ट स्थिति, जिनकी स्थिति को स्थानीय सरकार में उन्हें शिक्षित करने के लिए सुधारना होगा, समाज के उन्नत तथा अगड़े वर्गों के बराबर लोकतांत्रिक जीवन की सामान्य धारा में उन्हें समाहित करने के प्रयास की दिशा में एक कदम इस तरह के वर्गीकरण को उचित ठहराता है। वास्तव में अनुसूचित क्षेत्रों में यदि किसी आदिवासी को समाज के अगड़े वर्ग के सदस्य के विरुद्ध चुनाव लड़ना पड़े, तो मुकाबला बिल्कुल असमान होगा, जैसे कि एक कमजोर तथा अज्ञानी बनाम धनी तथा शक्तिशाली। इस तरह के मुकाबले में कमजोर तथा अज्ञानी को सदस्य बनने का मौका शायद ही मिले तथा किसी भी स्थिति में उसके लिए सदस्य बनना असंभव होगा। संस्था के अध्यक्ष के रूप में शीर्ष पर रहना। यदि वह संयोग से समाज के उन्नत वर्गों से निर्वाचित सदस्यों से बनी पंचायत का अध्यक्ष बन जाता है और सदस्य बहुमत में हैं, तो आरक्षित वर्ग के अध्यक्ष के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना और अपनी निर्वाचित स्थिति को बचाना लगभग असंभव होगा। इसलिए, आवश्यकता यह है कि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से होना चाहिए ताकि वह बिना किसी बाधा और अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खतरे के बिना प्रभावी ढंग से कार्य करने की स्थिति में हो और उसे उसके पद से हटा दिया जाए...."

23. इन टिप्पणियों के आलोक में, हमारा यह मानना है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 (बी), 40 (8) और 55 (8) को निरस्त करने में गलती की है, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 (जी) के दूसरे प्रावधान को प्रभावी बनाती है। हम मानते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में, उन्हीं निकायों के अध्यक्ष पदों पर अनुसूचित जनजातियों का विशेष प्रतिनिधित्व संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 243-एम (4) (बी) स्पष्ट रूप से संसद को अनुसूचित क्षेत्रों में भाग IX के आवेदन में 'अपवाद और संशोधन' प्रदान करने का अधिकार देता है। पीईएसए की धारा 4 (जी) के प्रावधान 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के मानदंड के कुछ अपवादों पर विचार करते हैं और जेपीआरए के विवादित प्रावधानों में भी यही अपवाद शामिल किया गया था।

24. विचारणीय अगला मुद्दा यह है कि क्या अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पक्ष में आरक्षण प्रदान करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, जो झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायती

राज संस्थाओं में कुल सीटों का अस्सी प्रतिशत है? उच्च न्यायालय ने जेपीआरए की धारा 17(8)(2), 36(8)(2) और 51(8)(2) को इस तर्क के आधार पर असंवैधानिक करार दिया था कि पंचायतों में 80% सीटों तक आरक्षण अत्यधिक, मनमाना और असंगत था, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ। प्रतिवादी के वकीलों ने एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, एआईआर 1963 एससी 649 और इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) सप 3 एससीसी 217 में इस न्यायालय की टिप्पणियों का हवाला दिया था, जिसमें सार्वजनिक रोजगार में पदों के आरक्षण के लिए 50% की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी। कृष्ण कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1996 पैट. 112 के मामले में पटना उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

25. जेपीआरए की धारा 17(बी)(1), 36(बी)(1) और 51(बी)(1) पेसा अधिनियम की धारा 4(जी) के पहले प्रावधान के अनुरूप हैं क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 50% सीटें एसटी उम्मीदवारों के पक्ष में आरक्षित हैं। उच्च न्यायालय ने इन प्रावधानों को रद्द नहीं किया है। इन प्रावधानों में यह विचार किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की आधी संख्या से कम न हो। इसके अतिरिक्त, जेपीआरए की धारा 17(बी)(2), 36(बी)(2) और 51(बी)(2) में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी, ताकि कुल आरक्षण उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 80% से अधिक न हो। आरोपित निर्णय द्वारा धारा 17(बी)(2), 36(बी)(2) और 51(बी)(~) को मुख्य रूप से इस आधार पर असंवैधानिक ठहराया गया है कि वे 'अत्यधिक आरक्षण' की अनुमति देते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को भी हमारे समक्ष चुनौती दी गई है।

26. अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने से पहले, संविधान के भाग IX में निर्धारित आरक्षण के पैटर्न का संदर्भ लेना उपयोगी है। अनुच्छेद 243-डी नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"अनुच्छेद 243-डी. सीटों का आरक्षण.- (1) सीटें निम्नलिखित के लिए आरक्षित होंगी -

(क) अनुसूचित जातियां; और

(ख) अनुसूचित जनजातियां,

प्रत्येक पंचायत में आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई सीटें अनुसूचित जातियों या, जैसा भी मामला हो, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटें पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित की जा सकेंगी।

(4) गांव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए इस तरह से आरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है:

परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या के अनुपात में यथाशक्य वही होगी जो राज्य में अनुसूचित जातियों की या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में है:

आगे यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या में से कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे:

यह भी प्रावधान है कि इस खंड के अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी।

(5) खंड (1) और (2) के तहत सीटों का आरक्षण और खंड (4) के तहत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण के अलावा) अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई भी बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी स्तर पर किसी भी पंचायत में सीटों या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

27. यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 243-डी के तहत राज्य विधानमंडल को प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का स्पष्ट आदेश है और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या के अनुपात में यथासंभव उतनी ही होगी जितनी उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या विचाराधीन क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में है। अनुच्छेद 243-डी(6) में आगे कहा गया है कि इस भाग की कोई बात राज्य विधानमंडल को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में किसी भी स्तर पर किसी भी पंचायत में सीटों या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से यह कोई तर्क नहीं दिया गया कि पिछड़े वर्ग के सदस्य

अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण पाने के हकदार नहीं हैं। अनुसूचित जातियों के संबंध में, राज्य अनुसूचित क्षेत्रों में भी उन्हें आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य है। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, पी.ई.एस.ए. के तहत ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 50% सीटें अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित की जानी चाहिए और अधिकतम सीमा इस सीमा तक तय की गई है कि यह आरक्षण कुल सीटों के 80% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिवादियों का तर्क है कि इस नीति से उन लोगों के खिलाफ़ विपरीत भेदभाव होगा जो ऐसे आरक्षण लाभों के लिए पात्र नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आरक्षण नीति विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है जो अब तक संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत एक अलग प्रशासनिक योजना का विषय थे।

28. हमारी कानूनी प्रणाली में यह एक सर्वमान्य आधार है कि 'मूलभूत समानता' और 'वितरणात्मक न्याय' जैसे विचार 'कानून के समक्ष समान संरक्षण' की गारंटी की हमारी समझ के केंद्र में हैं। राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से असमानों के साथ अलग-अलग व्यवहार कर सकता है। सवाल यह है कि क्या 'उचित वर्गीकरण' सुबोध भिन्नता के आधार पर किया गया है और क्या समान मानदंड किसी वैध सरकारी उद्देश्य से सीधे संबंध रखते हैं। सकारात्मक कार्रवाई उपायों की वैधता की जांच करते समय, जांच 'कड़ी जांच' के मानक के बजाय आनुपातिकता के मानक द्वारा शासित होनी चाहिए। बेशक, इन सकारात्मक कार्रवाई उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और बदलती सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विभिन्न उपायों को संशोधित या अनुकूलित किया जाना चाहिए। पंचायतों में सीटों का आरक्षण संविधान के भाग IX द्वारा सक्षम एक ऐसा सकारात्मक कार्रवाई उपाय है।

29. संविधान (बहत्तरवाँ संशोधन) विधेयक, 1991, जिसे संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के रूप में अधिनियमित किया गया था, से संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:-

> "यद्यपि पंचायती राज संस्थाएं लम्बे समय से अस्तित्व में हैं, फिर भी यह देखा गया है कि ये संस्थाएं नियमित चुनावों की अनुपस्थिति, लम्बे समय तक अधिक्रमण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं जैसे कमजोर वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शक्तियों का अपर्याप्त हस्तांतरण और वित्तीय संसाधनों की कमी सहित अनेक कारणों से व्यवहार्य और उत्तरदायी जन निकायों का दर्जा और गरिमा प्राप्त नहीं कर पाई हैं।
>
> (2) संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक निहित है, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। पिछले चालीस वर्षों के अनुभव और देखी गई कमियों के मद्देनजर, यह माना जाता है कि संविधान में पंचायती राज संस्थाओं की कुछ बुनियादी और आवश्यक विशेषताओं को निहित करने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि उन्हें निश्चितता, निरंतरता और मजबूती प्रदान की जा सके।

(3) तदनुसार, संविधान में पंचायतों से संबंधित एक नया भाग जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, किसी गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा; गांव और अन्य स्तर या स्तरों पर पंचायतों का गठन; गांव और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, यदि कोई हो, और ऐसे स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के लिए; प्रत्येक स्तर पर पंचायतों की सदस्यता और पंचायतों में अध्यक्षों के पद के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण; महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण; पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल तय करना और किसी पंचायत के अधिक्रमण की स्थिति में 6 महीने की अवधि के भीतर चुनाव कराना; पंचायतों की सदस्यता के लिए अर्हताएं; आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पंचायतों पर राज्य विधानमंडल द्वारा शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण; राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने के लिए राज्य विधानमंडल से प्राधिकरण प्राप्त करके पंचायतों के सुदृढ़ वित्त की व्यवस्था करना, साथ ही निर्दिष्ट करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के राजस्व का पंचायतों को आवंटन या विनियोजन करना; प्रस्तावित संशोधन के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करना; पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना; पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा करना; राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन पंचायतों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की राज्य विधानमंडलों की शक्तियां; उक्त भाग के प्रावधानों को संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू करना; उक्त भाग के प्रावधानों के लागू होने से कुछ राज्यों और क्षेत्रों को बाहर रखना; प्रस्तावित संशोधन के प्रारंभ होने से एक वर्ष तक विद्यमान कानूनों और पंचायतों को जारी रखना और पंचायतों से संबंधित चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाना;

(4) विधेयक का उद्देश्य उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

30. जैसा कि पहले कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 2430 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के रूप में इच्छित लाभार्थियों की स्पष्ट रूप से पहचान करता है। 73वें संशोधन अधिनियम को पेश करते समय, उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की गई थी ताकि यह सुनिश्चित करने के वैध सरकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके कि पारंपरिक रूप से हाशिए पर पड़े समूहों को स्थानीय स्वशासन में उत्तरोत्तर पैर जमाना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में 'उचित वर्गीकरण' को देखा जाना चाहिए।

31. तीनों स्तरों पर पंचायतों में एसटी के पक्ष में 50% आरक्षण स्पष्ट रूप से 'प्रतिपूरक भेदभाव' का एक उदाहरण है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि विचाराधीन अनुसूचित क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार पूरी तरह से एक अलग प्रशासनिक योजना के तहत थे। वास्तव में, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50% आरक्षण को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए अब सवाल यह है कि

अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं। संवैधानिक आदेश यह है कि अनुसूचित जातियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के संबंध में पंचायतों के तीनों स्तरों पर आरक्षण दिया जाना चाहिए।

32. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण पर लगाई गई सीमाओं के साथ सादृश्य बनाते हुए अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) से संबंधित मिसालों पर भरोसा किया है। हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि अनुच्छेद 243-डी पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए एक अलग और स्वतंत्र संवैधानिक आधार है। -:-इस आरक्षण की तुलना संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) द्वारा सक्षम सकारात्मक कार्रवाई उपायों से आसानी से नहीं की जा सकती है। विशेष रूप से अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 243-डी के बीच सादृश्य की अव्यवहारिकता पर, हम बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले से सहमत हैं, जिसे विनायकराव गंगारामजी देशमुख बनाम पीसी अग्रवाल और अन्य, एआईआर 1999 बोर्न 142 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। इस आरक्षण को बरकरार रखते हुए, यह निर्णय दिया गया:

> "... अब, सत्तर-तीसरे और चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन के बाद, स्थानीय निकायों के संविधान को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 243डी यह आदेश देता है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित की जाए और उक्त अनुच्छेद 243डी का उप-अनुच्छेद (4) यह भी निर्देश देता है कि गांव या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए इस तरह से आरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। इसलिए, ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय निकायों में आरक्षण अनुच्छेद 16 (4) द्वारा शासित नहीं होता है, जो सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के बारे में बात करता है, बल्कि एक अलग संवैधानिक शक्ति है जो ऐसे स्थानीय निकायों में आरक्षण का निर्देश देती है .... "

33. तर्क के लिए, भले ही अनुच्छेद 243-डी और अनुच्छेद 16(4) के बीच समानता व्यवहार्य हो, इंद्रा साहनी निर्णय का बारीकी से अध्ययन करने पर पता चलेगा कि भले ही सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए 50% की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई थी, उक्त निर्णय ने कुछ परिस्थितियों में असाधारण उपचार की आवश्यकता को मान्यता दी थी। यह निम्नलिखित शब्दों (पैरा 809, 810) से स्पष्ट है:

> "809. उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में उल्लिखित आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।
>
> 810. जबकि 50% नियम होगा, इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से अलग कर दिए जाने और उनकी विशिष्ट और विशिष्ट स्थितियों को देखते हुए अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता हो, इस सख्त नियम में

कुछ छूट देना अनिवार्य हो सकता है। ऐसा करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए।"

34. हमारा मानना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का मामला एक उपयुक्त मामला है, जिसके लिए आरक्षण के संबंध में असाधारण व्यवहार की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के लिए आरक्षण में 50% की ऊपरी सीमा लागू करने के पीछे का तर्क अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता है। शिक्षा और रोजगार के संबंध में, सकारात्मक कार्रवाई उपायों और योग्यता के विचारों के बीच एक व्यावहारिक संतुलन बनाए रखने के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों की कुल संख्या के बीच समानता बनाए रखी जाती है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के पक्ष में सीटों का आरक्षण आमतौर पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है और 50% की ऊपरी सीमा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिलाओं और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) जैसे लक्षित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार के लाभों को वितरित करने में काफी लचीलापन प्रदान करती है। हालांकि, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए आरक्षण के संदर्भ में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का यही तरीका कम प्रभावी होने की संभावना है। इसका एक कारण एक ओर शिक्षा और रोजगार तक पहुँच से मिलने वाले लाभों की प्रकृति और दूसरी ओर राजनीतिक भागीदारी के बीच अंतर्निहित अंतर है। जहाँ उच्च शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार तक पहुँच व्यक्तिगत लाभार्थियों के क्रमिक सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण की संभावना को बढ़ाती है, वहीं स्थानीय-स्वशासन में भागीदारी व्यक्ति के साथ-साथ उस समुदाय की सुरक्षा के लिए एक अधिक तात्कालिक उपाय के रूप में अभिप्रेत है जिससे वह संबंधित है। विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में, स्थानीय स्वशासन में उन्हें प्रभावी आवाज़ देकर आदिवासी समुदायों के हितों की तत्काल सुरक्षा करने की अत्यधिक आवश्यकता है। भूरिया समिति की रिपोर्ट ने अनुसूचित जनजातियों के सामने आने वाली समस्याओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया था और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व पर जोर दिया था जो उन्हें अपने हितों की रक्षा करने के लिए सशक्त बनाएगा।

35. अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में कम से कम आधी सीटें अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षित करके, विधानमंडल ने प्रतिपूरक भेदभाव का एक मानक अपनाया है जो 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' और 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के सामान्य मानकों से परे है। 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' का मानक तब लागू होता है जब यह पाया जाता है कि किसी विशेष समुदाय का किसी निश्चित क्षेत्र में कम प्रतिनिधित्व है और यह सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट सीमा प्रदान की जाती है कि लाभार्थी समूह को समय बीतने के साथ पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। उदाहरण के लिए संविधान के भाग IX में, महिलाओं के पक्ष में आरक्षण जो पंचायतों में सभी सीटों का एक तिहाई है, 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' मानक का एक अवतार है।

36. हालांकि, ऐसे मामलों में जहां संविधान आरक्षण की मात्रा निर्दिष्ट नहीं करता है, 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' का विचार सामान्य नियम है। जैसा कि पहले उल्लेख किया

गया है, शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में आरक्षण के पीछे आनुपातिक प्रतिनिधित्व नियंत्रित विचार रहा है जिसका आधार क्रमशः अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में है। यहां तक कि पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में भी, अनुच्छेद 243-एम(1) और अनुच्छेद 243-एम(6) स्पष्ट रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण के पीछे नियंत्रित विचार के रूप में 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' का उल्लेख करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों के संबंध में, अनुच्छेद 243-एम(4)(बी) द्वारा प्रदान की गई लचीलापन ने पेसा को अधिनियमित किया है जो इच्छित लाभार्थियों के पक्ष में आरक्षण के लिए 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' को मानक के रूप में निर्दिष्ट करता है, लेकिन विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए इस मानक से विचलन करता है।

37. वर्तमान मामले में 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' और 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के मानदंडों से अलग होने का एक तर्कसंगत आधार है। यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यह पाया गया कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियाँ सापेक्ष बहुमत में हैं, वहाँ भी सरकारी मशीनरी में उनका प्रतिनिधित्व कम है और इसलिए वे शोषण के शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग सार्वजनिक पदों पर हैं, वहाँ भी यह स्पष्ट संभावना है कि गैर-आदिवासी आबादी मामलों पर हावी हो जाएगी। अनुसूचित जनजातियों की अपेक्षाकृत कमज़ोर स्थिति गैर-आदिवासियों द्वारा भूमि हड़पने, निजी और सरकारी विकास गतिविधियों के कारण विस्थापन और पर्यावरणीय संसाधनों के विनाश जैसी समस्याओं के माध्यम से भी प्रकट होती है। ऐसी सामाजिक वास्तविकताओं से निपटने के लिए, विधानमंडल ने 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के मानदंड से अलग होना उचित समझा। इस अर्थ में, इस तरह के नीति-विकल्पों पर पुनर्विचार करना हमारा काम नहीं है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अशोक कुमार त्रिपाठी बनाम भारत संघ, 2000 (2) एमपीएचटी 193 में इसी तरह की स्थिति अपनाई थी, जहां जस्टिस धर्माधिकारी ने निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं (पैरा 36, 37 से उद्धृत):

> ''.. सुदूर या पहाड़ी क्षेत्रों या जंगलों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए, जिनकी अपनी आदिम संस्कृति है, संविधान में उनके लिए अनुसूचित क्षेत्रों के गठन और उन पर 'अपवादों और संशोधनों' के साथ कानूनों के लागू होने की परिकल्पना की गई है, ताकि वे अपनी संस्कृति और व्यवसाय को संरक्षित करने में सक्षम हों और शहरी आबादी के पिछड़े वर्गों द्वारा शोषण के संपर्क में न आएं। समाज के ऐसे वंचित वर्ग के पक्ष में सुरक्षात्मक भेदभाव, यदि परिस्थितियाँ उचित हों, तो अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन में उन्नत वर्गों के पूर्ण बहिष्कार की सीमा तक जा सकता है। जनसंख्या के आधार पर ऐसे आरक्षणों के पीछे मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य, चाहे 50% से अधिक हो, यह है कि समाज के वंचित और उत्पीड़ित वर्गों की अपने क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन निकायों में विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जाए क्योंकि समाज के उन्नत वर्गों के साथ खुली प्रतिस्पर्धा में उन्हें स्वशासन में भाग लेने का कोई हिस्सा कभी नहीं मिल सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में केंद्रीय और राज्य अधिनियम के प्रावधानों की बारीकी से और सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि आरक्षित श्रेणियों की

जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन किया गया है, लेकिन उन्हें सदस्य के रूप में सीटें आरक्षित करके स्वशासन का बड़ा हिस्सा देने में इससे केवल विचलन किया गया है और अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लिए अध्यक्ष की सीटों का एकाधिकार बनाया गया है ताकि वे अपनी संस्कृति और जीवन शैली का संरक्षण कर सकें। आरक्षण की नीति पर निर्णय लेने के लिए कि यह उचित है या अनुचित, न्यायालय को संविधान की समग्र योजना की जांच करनी होगी जैसा कि भाग IX और IX A में परिकल्पित है और इसे लागू करने के लिए लाए गए संबंधित केंद्रीय और राज्य कानून हैं। भाग IX और IX A में निहित आरक्षण नीति का लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि समाज के पिछड़े और उत्पीड़ित वर्गों को शासन में हिस्सा देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रोत्साहित किया जाए साथ ही इसका दूसरा उद्देश्य उन्हें शहरी प्रभावों से बचाना है ताकि वे अपनी संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित रख सकें और समाज के उन्नत या सामाजिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों द्वारा शोषण का शिकार न हों।

बार में यह तर्क दिया गया कि आरक्षण की ऐसी अत्यधिक नीति से दोनों वर्गों के बीच कटुता पैदा होगी और यह ऐसे उत्पीड़ित वर्गों को लोकतांत्रिक जीवन की मुख्यधारा में लाने में गंभीर बाधा होगी। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क हैं। नीति के मामलों में सबसे अच्छे न्यायाधीश विधायक होते हैं जो समाज के करीब होते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास समाज का अध्ययन होता है और विशेषज्ञों द्वारा किए गए समाजशास्त्रीय सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टों का लाभ उन्हें मिलता है। वे समाज और उसके विभिन्न वर्गों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। इस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना और आरक्षण की नीति निर्धारित करना इस न्यायालय का काम नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश किए गए तर्क से केवल यही पता चलता है कि समाज के उन्नत वर्गों के सदस्यों का जातियों और जनजातियों के प्रति रवैया करुणा से अधिक प्रतिस्पर्धा का है। आजादी के बाद पिछले 50 वर्षों में उनके पक्ष में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए आरक्षण उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल नहीं हुए हैं और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदार नहीं बना पाए हैं। विधायकों को अभी भी संविधान और कानूनों में उनके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, ताकि कम से कम स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, ताकि उन्हें राज्यों की विधानसभाओं और संसद में शासन में उचित हिस्सा मिल सके। यह तर्क कि आरक्षण की नीति उन्हें आम धारा के साथ जोड़ने के बजाय अलग-थलग कर देगी, विधायकों को मौजूदा सामाजिक स्थिति के आधार पर विचार करना चाहिए। नीति के मामलों में, विधानमंडल की बुद्धि पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है या निर्धारित नीति को न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया जा सकता है, जो इस विषय से निपटने के लिए अयोग्य है।"

38. यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के साथ किए गए असाधारण व्यवहार के पीछे ठोस कारण हैं, फिर भी कुछ अन्य चिंताएँ हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसी ही एक चिंता सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान से जुड़ी है। यह एक आम धारणा

है कि सकारात्मक कार्रवाई के उपायों की प्रभावशीलता और वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है यदि उन्हें ठीक से लक्षित नहीं किया जाता है। वर्तमान मामले में, यह बताया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाती है और इसे 10 वर्षों के अंतराल के बाद एकत्र किया जाता है। यह आग्रह किया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान सटीक नहीं हो सकती है यदि यह पुराने आंकड़ों पर आधारित है। यद्यपि हमें झारखंड के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या के वितरण का वर्णन करने वाले आंकड़े दिखाए गए (2001 की जनगणना के अनुसार), यह कहना पर्याप्त होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान एक कार्यकारी कार्य है और हमारे पास इसके अनुभवजन्य आधार की जांच करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता नहीं है। हमारे सामने प्रस्तुत आंकड़ों से संकेत मिलता है कि अनुसूचित जनजातियाँ वास्तव में कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में बहुसंख्यक हैं, लेकिन कुछ अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह सच नहीं है। यह असमानता समझ में आती है, यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासी आबादी का काफी प्रवाह हुआ है। इस संबंध में, हमें भूरिया समिति की सिफारिश पर फिर से जोर देना चाहिए कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में कम से कम आधे सीटों पर कब्जा करना चाहिए, भले ही संबंधित क्षेत्र में एसटी आबादी सापेक्ष अल्पसंख्यक हो। यह सिफारिश अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के बड़े उद्देश्य के अनुरूप है।

39. अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 80% सीटों के बराबर कुल आरक्षण की दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि यह सामान्य वर्ग के लोगों के राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों पर अनुचित सीमाएँ लगाता है। राजनीतिक भागीदारी के अधिकारों में मोटे तौर पर एक नागरिक का अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार और नागरिकों का सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार शामिल है। वर्तमान मामले में, यह आग्रह किया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों में 80% सीटों के बराबर आरक्षण का प्रभाव मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों को सीमित करने और सामान्य वर्ग के लोगों को इन चुनावों में लड़ने से प्रभावी रूप से हतोत्साहित करने का होगा। जबकि चुनावी मताधिकार का प्रयोग उदार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है, यह भारतीय कानून में एक सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकारों का दर्जा नहीं है और इसके बजाय वे कानूनी अधिकार हैं जिन्हें विधायी साधनों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है (देखें एन.पी. पोन्नुस्वामी का मामला, एआईआर 1952 एससी 64)। उदाहरण के लिए, संविधान भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों में पात्र मतदाताओं की पहचान करने के उद्देश्य से मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 इन चुनावों में लड़ने के लिए व्यक्तियों की पात्रता पर संवैधानिक मार्गदर्शन को प्रभावी बनाता है। इसमें ऐसे आधार शामिल हैं जो किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराते हैं जैसे कि भारत का नागरिक न होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, दिवालिया होना और कार्यपालिका के अधीन 'लाभ का पद' धारण करना आदि। यह कहना पर्याप्त होगा कि चुनाव लड़ने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है क्योंकि इस पर स्पष्ट विधायी नियंत्रण हैं।

40. पंचायतों में आरक्षण के संदर्भ में, यह तर्क दिया जा सकता है कि मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों पर लगाई गई सीमा आरक्षण नीति का एक आकस्मिक परिणाम है। इस मामले में, स्थानीय स्वशासन में उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने में राज्य का बाध्यकारी हित स्पष्ट रूप से मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों को कम न करने के प्रतिस्पर्धी हित से अधिक है। यहां यह भी दोहराया जाना चाहिए कि पीईएसए की धारा 4(जी) के पहले प्रावधान द्वारा एसटी के पक्ष में 50% आरक्षण को विवादित निर्णय में खारिज नहीं किया गया था। भले ही इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि यह प्रावधान अनुच्छेद 243-डी(1) द्वारा परिकल्पित 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के मानदंड से विचलन करता है, हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अनुच्छेद 243-एम(4)(बी) किस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों में भाग IX के आवेदन में 'अपवाद और संशोधन' की अनुमति देता है। जेपीआरए की धाराएं 17(8)(1), 36(8)(1) और 51(8)(1) केवल उस असाधारण उपचार को प्रभावी बनाती हैं जो पीईएसए द्वारा अनिवार्य है।

41. हालांकि, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में 50% आरक्षण के अलावा, झारखंड राज्य अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखने के लिए भी बाध्य है। जेपीआरए की धारा 17(8)(2), 36(8)(2) और 51(8)(2) में इस पर विचार किया गया है, जिसमें अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व' के मानक को इस तरह से शामिल किया गया है कि कुल आरक्षण 80% से अधिक न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण 80% की सीमा तक पहुंच जाएगा। चूंकि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटों के आवंटन में आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना होता है, इसलिए पंचायतों के चुनावों के उद्देश्य से पहचाने गए विभिन्न क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल आरक्षण की सीमा अलग-अलग होने की संभावना है। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र की जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल के आधार पर, यह संभव है कि कुल आरक्षण 80% की ऊपरी सीमा से कम हो। हालाँकि, अनुसूचित क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की आबादी कुल आबादी के 30% से अधिक है, वहाँ 80% की ऊपरी सीमा लागू हो जाएगी।

42. इस तरह के बदलावों के बावजूद, जेपीआरए के विवादित प्रावधानों के पीछे विधायी मंशा मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना है। पिछली चर्चा के आलोक में, हमारा यह सुविचारित दृष्टिकोण है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में 50% से अधिक सीटों पर कुल आरक्षण अनुच्छेद 243-एम(4)(बी) के तहत अनिवार्य असाधारण उपचार के कारण अनुमेय है। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं से सहमत हैं और इस सीमित बिंदु पर झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हैं।

43. प्रतिवादियों में से एक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. एम.पी. राजू ने तर्क दिया कि झारखंड पंचायत आरक्षण अधिनियम को 'अनुसूचित क्षेत्र' तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था क्योंकि अनुसूचित जनजातियाँ संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत अधिक शक्तियों का आनंद ले रही थीं। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि उन प्रावधानों को असंवैधानिक माना जाता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना है, तो पाँचवीं अनुसूची के तहत जनजाति सलाहकार परिषदों की प्रणाली को वापस करना बेहतर होगा। हमें इस

तर्क में बहुत अधिक बल नहीं मिला और इसे केवल अस्वीकार किया जाना चाहिए। 44. परिणामस्वरूप, भारत संघ द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी जाती है और पी.ई.एस.ए. अधिनियम की धारा 4 (जी) और झारखंड पंचायत आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 21 (8), 40 (8) और 55 (8) के प्रावधान को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है। हम यह भी मानते हैं कि झारखंड पंचायत आरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 17(8)(2), 36(8)(2) और 51(8)(2) संवैधानिक रूप से वैध प्रावधान हैं।

45. अन्य अपीलों का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है और झारखंड राज्य के राज्य चुनाव आयोग को पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआइ) के लिए यथाशीघ्र चुनाव कराने का निर्देश दिया जाता है।

आर.पी. अपील स्वीकार की जाती है।

(यह अनुवाद अधिवक्ता ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।)